संख्या-25/7/95-का-4-2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 29 जून, 2006

विषयः- उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्तियां किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक,शासनादेश संख्या-80-सी.एम./47-का-4-94-15/10/94 दिनांक 03 नवम्बर, 1995 एवं दिनांक 06 मई, 1996 के क्रम में, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) शासनादेश संख्या-80-सी.एम./47-का-4-94-15/10/94, दिनांक 20 अगस्त, 1994 के द्वारा सृजित उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के अवशेष रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा केवल अदीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण की गयी थी तथा जिनकी सेवायें शासनादेश दिनांक 03 नवम्बर, 1995 के द्वारा आस्थगन में रखीं गयीं थीं, के द्वारा यदि कालान्तर में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो तो उसके सत्यापन के उपरान्त, उनकी सेवायें बहाल करते हुए, उन्हें वेतन का भुगतान किया जाय।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-25/7/95-(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।